

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 29 अप्रैल, 2016

संख्या 14/एस0टी0-1/ह0अ0 6/2003/धा0 59 /2016. — चूंकि, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है ;

अब, इसलिए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 59 की उप-धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क, ख तथा ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,

1. अनुसूची क में,-

- (i) क्रम संख्या 13 तथा उसके सामने प्रविष्टि का लोप कर दिया जायेगा ।
- (ii) खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 13 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्:-

"14 सूती धागा, जब राज्य में स्थापित विनिर्मित इकाई द्वारा निर्मित 0%। करके बेचा जाता है, किन्तु रुई की छीजन से निर्मित सूती धागा तथा सूती धागे की छीजन शामिल नहीं है।

2. अनुसूची ख में,-

- (i) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
"4क बेसन, बिनौला तथा ऑयल केक (खल)";
- (ii) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 12 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"12क छोटा (मिनी) टोका (रसोई के लिए पत्तेदार सब्जियों का कर्तक)";

- (iii) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 44 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"44 सभी प्रकार के जूते (चमड़े से बने जूतों को छोड़कर किन्तु इसमें हवाई चप्पलें और उनकी पट्टियां शामिल हैं) जिनकी अधिकतम खुदरा कीमत `500/- प्रति जोड़ी से अधिक नहीं है, परन्तु अधिकतम खुदरा कीमत जूते पर अमिट रूप से चिह्नित या उभरी हुई है तथा जूते के 'अपर'।"।

3. अनुसूची ग में,-

- (i) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
"4 सभी प्रकार के धागे जिसमें सिलाई धागा तथा सभी प्रकार के धागों की छीजन शामिल है, किन्तु सूती धागा जब राज्य में स्थापित विनिर्मित इकाई द्वारा निर्मित करके बेचा जाता है, शामिल नहीं है";

- (ii) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 29 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"29क बैटरी संचालित इलैक्ट्रिकल वाहन";

- (iii) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 94 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद,

निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—
"94क वें:मिसेल (सेवई)";

- (iv) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 98 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
"98 मैदा तथा सूजी सहित गेहूँ का आटा, चावल का आटा, चने का आटा, जौ घाट, जौ का आटा तथा सत्तू, गेहूँ या जौ का दलिया, क्षतिग्रस्त गेहूँ, राजमा, लोबिया, रौंजी, सेगो (साबूदाना), सोयाबीन मील तथा सोयाबीन का आटा"।
- (v) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 100ड. तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—
"100च "सभी प्रकार के जूते सिवाय उनके जो अनुसूची ख की प्रविष्टि 44 के अन्तर्गत आते हैं;"।

रोशन लाल
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 29th April, 2016

No. 14/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2016. - Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 read with proviso to said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedules A, B and C appended to the said Act with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),-

1. in Schedule A,—
 - (i) serial number 13 and entry thereagainst shall be omitted.
 - (ii) under columns 1, 2 and 3, after serial number 13 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:-
“14 Cotton yarn, when manufactured and sold by the manufacturing unit established in the State, but not including the cotton yarn waste and yarn manufactured from cotton waste. 0%”.
2. in Schedule B,—
 - (i) under columns 1 and 2, after serial number 4 and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-
“4A Besan, Binola and Oil Cake (Khal)”;
 - (ii) under columns 1 and 2, after serial number 12 and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-
“12A Chhota (Mini) Toka (leafy vegetables cutter for Kitchen)”;
 - (iii) under columns 1 and 2, for serial number 44 and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-
 - (iv) “44 All kinds of footwear (excluding Footwear made of leather but including Hawaii chappals and straps thereof) with maximum retail price not exceeding `500 per pair provided that the maximum retail price is indelibly marked or embossed on the footwear itself, **and shoe-uppers**”.
3. in Schedule C,—
 - (i) under columns 1 and 2, for serial number 4 and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-
“4 all types of yarns including sewing thread and wastes of all types of yarns **but not including cotton yarn when manufactured and sold by the manufacturing unit established in the State**”;

(ii) under columns 1 and 2, after serial number 29 and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“29A Battery operated electrical vehicle”;

(iii) under columns 1 and 2, after serial number 94 and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“94A Vermicelli (Sewian)”;

(iv) under columns 1 and 2, for serial number 98 and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“98 Wheat atta including maida and sooji, rice flour, gram flour, barely ghat, barely flour and sattu, dalia of wheat or barely, damaged wheat, rajmah, lobia, rongi, sago (sabudana), soyabean meal, and soyabean flour”;

(v) under columns 1 and 2, after serial number 100E and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“100F All types of footwear except those covered by entry 44 of Schedule B;”.

ROSHAN LAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.